



Neutral Citation No. - 2026:AHC: 127998

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत अर्जी संख्या - 20149 वर्ष 2026

किशन कुमार

.....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....प्रतिवादी

आवेदक के अधिवक्ता : चंदन कुमार चतुर्वेदी, नवनीत कुमार श्रीवास्तव

प्रतिवादी के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 45

माननीय न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह

1. आवेदक के अधिवक्ता और उत्तर प्रदेश राज्य की ओर से ए.जी.ए. की दलीलें सुनीं और रिकॉर्ड देखा।

अस्वीकरण : - अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है । सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा ।



2. यह जमानत अर्जी, मुकदमा अपराध संख्या 01/2026 (पुलिस स्टेशन- जहानगंज, ज़िला- आजमगढ़) में आवेदक को जमानत पर रिहा करने के लिए दायर की गई है। यह मामला उत्तर प्रदेश गैंगस्टर और असामाजिक गतिविधियाँ (रोकथाम) अधिनियम, 1986 की धारा 2(बी)(1)(2) और 3(1) के तहत दर्ज है।

3. आवेदक के अधिवक्ता का कहना है कि आवेदक एक निर्दोष व्यक्ति है और उसे इस मामले में झूठा फँसाया गया है। आवेदक की ओर से यह भी कहा गया है कि गैंग चार्ट में आवेदक के खिलाफ एक मामला दिखाया गया है और उस मामले में आवेदक जमानत पर है। वे आगे कहते हैं कि मौजूदा मामले और गैंग चार्ट में दिखाए गए एक मुख्य मामले के अलावा, आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है।

4. उन्होंने आगे कहा कि जिस एफ.आई.आर. की बात हो रही है, उसमें आवेदक पर सार्वजनिक व्यवस्था बिगाड़ने और अनुचित सांसारिक, आर्थिक, भौतिक या इसी तरह का कोई अन्य लाभ उठाने के जो आरोप लगाए गए हैं, वे अस्पष्ट हैं। साथ ही, उन्होंने कहा कि अगर आरोपी के किसी ऐसे काम या काम न करने के बारे में कोई आरोप नहीं है जो इस एक्ट की धारा 2 में दी गई "गैंग" और "गैंगस्टर" की परिभाषा के दायरे में आता हो, तो ऐसी एफ.आई.आर. कानूनी रूप से मान्य नहीं है। इस मामले में, एफ.आई.आर. पहले से चल रहे आपराधिक केस (केसों) पर

अस्वीकरण :- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



आधारित है, न कि किसी ऐसे नए आरोप या तथ्य की खोज पर जिसका समाज पर गंभीर असर पड़ा हो—जिस मकसद से यह एक्ट बनाया गया था।

5. उन्होंने यह भी कहा कि इस कानून के प्रावधानों का इस्तेमाल नागरिकों से बदला लेने, उन्हें परेशान करने या डराने-धमकाने, या फिर राजनीतिक या अन्य मामलों में हिसाब-किताब बराबर करने के हथियार के तौर पर नहीं किया जा सकता।

6. उन्होंने कहा कि इस मामले में ऐसा लगता है कि ज़िला प्रशासन ने अच्छा काम दिखाने, तारीफ़ पाने या सरकार या सत्ताधारी पार्टी के बड़े अधिकारियों से सराहना हासिल करने के लिए इस कानून के प्रावधानों को लागू किया है, जो कि अनुचित है।

7. उन्होंने यह भी कहा कि ऊपर बताए गए तथ्यों को देखते हुए, यह मानने के लिए उचित आधार है कि आवेदक 'गैंगस्टर्स एक्ट' के तहत अपराध का दोषी नहीं है और ज़मानत पर रहने के दौरान वह कोई अपराध नहीं करेगा। उन्होंने यह भी कहा कि ज़मानत पर रहने के दौरान आवेदक न तो कोई अपराध करेगा और न ही किसी भी तरह से सबूतों से छेड़छाड़ करने या गवाहों को प्रभावित करने की कोशिश करेगा।

8. आवेदक के अधिवक्ता ने कहा है कि आवेदक इस मामले में 28.09.2025 से जेल में बंद है और ऐसी कोई आशंका नहीं है कि अगर उसे ज़मानत मिल जाती है, तो वह कानून की प्रक्रिया से भाग जाएगा या विचारण न्यायालय के सामने पेश नहीं होगा। साथ ही, रिकॉर्ड पर मौजूद

अस्वीकरण : - अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



सबूत या सामग्री इतनी मज़बूत नहीं है कि यह माना जा सके कि आवेदक गैंग चार्ट में बताए गए अपराधों का दोषी है।

9. इन हालात में, आवेदक ज़मानत का हकदार है। ज़मानत पर रिहा होने पर, वह ज़मानत की आज्ञादी का गलत इस्तेमाल नहीं करेगा और विचारण में सहयोग करेगा।

10. विद्वान ए.जी.ए. ने ज़मानत की अर्ज़ी का विरोध किया है, लेकिन निष्पक्ष रूप से यह माना है कि गैंग चार्ट में बताए गए मामलों में आवेदक ज़मानत पर है। हालाँकि, उन्होंने आगे कहा कि आवेदक एक गैंग का सदस्य है और आदतन अपराधी है। अगर आवेदक को ज़मानत पर रिहा किया जाता है, तो वह फिर से ऐसी ही असामाजिक गतिविधियों में शामिल होगा और अभियोजन पक्ष के गवाहों को धमकाकर और डरा-धमकाकर ज़मानत का गलत इस्तेमाल करेगा।

11. उत्तर प्रदेश गैंगस्टर और असामाजिक गतिविधियाँ (रोकथाम) अधिनियम, 1986 की धारा 19(4) इस प्रकार है:-

"(4) इस कोड में किसी भी बात के होते हुए भी, इस एक्ट या इसके तहत बने किसी नियम के तहत सज़ा-योग्य अपराध के आरोपी किसी व्यक्ति को, अगर वह कस्टडी में है, तो ज़मानत या अपने बॉन्ड पर तब तक रिहा नहीं किया जाएगा जब तक कि--

अस्वीकरण :- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है । सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा ।



(a) पब्लिक प्रॉसिक्यूटर को ऐसी रिहाई की अर्जी का विरोध करने का मौका न दिया गया हो, और

(b) जहाँ पब्लिक प्रॉसिक्यूटर अर्जी का विरोध करता है, वहाँ न्यायालय को यह यकीन न हो जाए कि यह मानने के लिए उचित आधार हैं कि वह ऐसे अपराध का दोषी नहीं है और ज़मानत पर रहने के दौरान उसके द्वारा कोई अपराध करने की संभावना नहीं है।"

12. उत्तर प्रदेश गैंगस्टर और असामाजिक गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम, 1986 की धारा 19(4) को ध्यान में रखते हुए, मैंने रिकॉर्ड पर मौजूद सबूतों, गैंग-चार्ट में बताए गए अपराध की प्रकृति और आरोपी-आवेदक के आपराधिक बैकग्राउंड पर विचार किया है।

13. यूनियन ऑफ़ इंडिया बनाम के.ए.. नजीब, (2021) 3एस सी सी713 मामले में यह तय किया गया था कि संविधान के भाग III में दी गई आज़ादी के दायरे में न सिर्फ़ सही प्रक्रिया और निष्पक्षता आती है, बल्कि न्याय तक पहुँच और तेज़ी से मुक़दमा चलना भी शामिल है। 'सुप्रीम न्यायालय लीगल एंड कमिटी रिप्रेजेंटिंग अंडरविचारण प्रिज़नर्स बनाम यूनियन ऑफ़ इंडिया' मामले में यह तय किया गया था कि मुक़दमा चलने तक विचाराधीन कैदियों को अनिश्चित काल तक हिरासत में नहीं रखा जा सकता। आदर्श रूप से, किसी व्यक्ति को अपने कामों के बुरे नतीजों का सामना तब तक नहीं करना चाहिए जब तक कि किसी निष्पक्ष मध्यस्थ के सामने वे साबित न हो जाएँ। हालाँकि, असल ज़िंदगी की व्यावहारिकताओं को देखते

अस्वीकरण : - अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



हुए—जहाँ एक असरदार मुकदमा सुनिश्चित करना और मुकदमे के दौरान किसी संभावित अपराधी के खुले घूमने से समाज को होने वाले जोखिम को कम करना ज़रूरी होता है—अदालतों को यह तय करना होता है कि किसी व्यक्ति को मुकदमे के दौरान रिहा किया जाए या नहीं। जब यह साफ़ हो जाता है कि समय पर मुकदमा चलना संभव नहीं होगा और आरोपी ने काफी समय तक जेल की सज़ा काट ली है, तो अदालतें आम तौर पर उन्हें ज़मानत पर रिहा करने के लिए बाध्य होती हैं।

14. ऊपर बताई गई पक्षों की दलीलों, भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के व्यापक उद्देश्य और सुप्रीम न्यायालय के फैसलों - **दताराम सिंह बनाम यूपी राज्य व अन्य (2018) 3एस सी सी22 और सतेंद्र कुमार अंतिल बनाम सीबीआई व अन्य (एस.एल.पी. (सीआरएल.) संख्या. संख्या. 5191/2021)** - पर विचार करने के बाद, और मामले के गुण-दोष पर कोई राय दिए बिना, ज़मानत की अर्ज़ी मंज़ूर की जाती है।

15. उक्त अपराध में शामिल आवेदक-**किशन कुमार** को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार उतनी ही राशि का व्यक्तिगत बॉन्ड और दो ज़मानतदार पेश करने पर निम्नलिखित शर्तों के साथ ज़मानत पर रिहा किया जाए कि :-

(i) आवेदक को यह लिखित वचन देना होगा कि जब गवाह न्यायालय में मौजूद हों, तो वह सबूत पेश करने के लिए तय तारीख पर सुनवाई टालने की मांग नहीं करेगा। अगर इस शर्त का

अस्वीकरण :- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



पालन नहीं किया जाता है, तो विचारण न्यायालय इसे ज़मानत की आज्ञादी का दुरुपयोग मानकर कानून के अनुसार आदेश दे सकता है।

(ii) आवेदक को तय हर तारीख पर विचारण न्यायालय के सामने खुद या अपने अधिवक्ता के ज़रिए मौजूद रहना होगा। अगर वह बिना किसी ठोस वजह के मौजूद नहीं रहता है, तो विचारण न्यायालय उसके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 229-ए / बी.एन.एस. की धारा 269 के तहत कार्रवाई कर सकता है।

(iii) अगर आवेदक विचारण के दौरान ज़मानत की आज्ञादी का गलत इस्तेमाल करता है, तो उसकी मौजूदगी पक्की करने के लिए सीआर.पी.सी. की धारा 82 / बी.एन.एस.एस. की धारा 84 के तहत उद्घोषणा जारी की जा सकती है। अगर आवेदक ऐसी उद्घोषणा में तय तारीख पर न्यायालय के सामने पेश नहीं होता है, तो विचारण न्यायालय उसके खिलाफ कानून के अनुसार भारतीय दंड संहिता की धारा 174-ए / बी.एन.एस. की धारा 209 के तहत कार्रवाई शुरू करेगा।

(iv) आवेदक को विचारण न्यायालय के सामने इन तारीखों पर खुद मौजूद रहना होगा: (1) केस शुरू होने पर, (2) आरोप तय होने पर, और (3) सीआर.पी.सी. की धारा 313 / बी.एन.एस.एस. की धारा 351 के तहत बयान दर्ज होने पर। अगर विचारण न्यायालय को लगता है कि आवेदक जानबूझकर या बिना किसी ठोस वजह के गैर-हाज़िर रहा है, तो विचारण न्यायालय ऐसी चूक

अस्वीकरण : - अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



को ज़मानत की आज्ञादी का गलत इस्तेमाल मान सकता है और उसके खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई कर सकता है।

16. ऊपर बताई गई किसी भी शर्त का उल्लंघन होने पर ज़मानत रद्द की जा सकती है।

17. यह स्पष्ट किया जाता है कि आवेदक को ज़मानत देते समय की गई टिप्पणियाँ, गवाहों की गवाही के आधार पर अपनी स्वतंत्र राय बनाने में संबंधित विचारण जज को किसी भी तरह से प्रभावित नहीं करेंगी।

17 जून, 2026

कीर्ति

(न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह)

अस्वीकरण : - अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।